

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 40/18

तारीख 16/4/18

सुगनलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. शोभादेवी पत्नि विमलकुमार जाति जैन उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. उंकार पिता देवीलाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 16-4-18

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम बिलोनाबड़ी पटवार हल्का आरोली तहसील विजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 77 पर अंकित आराजी संख्या 109/1 रकबा 5-00 बीघा भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्इद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की वहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बावत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कॉन्फ्रॉ सीफ 500/18 अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बिलोनाबड़ी पटवार हल्का आरोली तहसील विजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 77 पर अंकित आराजी संख्या 109/1 रकबा 5-00 बीघा भूमि वशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार विजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
विजौलियाँ